

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत मूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशाल संख्या:- 569

निर्णय दिनांक :- 25/10/24

उनवानी दावा :

.....महिसारा..... बनाम तहसीलदार.....रानी.....

उपस्थिति :-

.....प्रार्थी.....

तहसीलदार देवली/दूनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय/ आदेश प्रशासन गांव के संग 2021 कैम्प दोहरा में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार रानी को अपना नाम वाके ग्राम खरोई जमाबंदी सम्वत् 2071-74 के खाता संख्या 238 में दर्ज महिसारा के स्थान पर महिसारा दुरुस्त करवाने हेतु पेश किया।

तहसीलदार रानी ने पटवार हल्का दोहरा वि भू0A0नि0 रानी की रिपोर्ट सहित प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त इन्द्राज करने की अभिशंषा करते हुए पत्रावली उपखण्ड अधिकारी/प्रभारी अधिकारी को पेश की गई। पत्रावली कैम्प में दर्ज रजिस्टर की गई।

प्रार्थी उपस्थित हुआ। मजमेआम में प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बंध में जानकारी ली गई। तहसीलदार रानी से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, जिसमें प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानी को वाके ग्राम खरोई जमाबंदी सम्वत् के खाता संख्या 238 में दर्ज महिसारा के स्थान पर महिसारा दुरुस्त राजस्व अभिलेख करने हेतु अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुल न्यायालय कैम्प दोहरा में सुनाया गया।

वि.दी.
उपखण्ड अधिकारी
देवली